# विशेष वेयर हाऊस लाइसेंसिंग विनियम, 2016

अधिसूचना सं. 72/2016-सीमा शुल्क (गै.टे.), दिनांक 14 मई, 2016

सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 (1962 का 52) की धारा 58 क, के साथ पठित धारा 157 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय उत्पाद एवं सीमा शुल्क बोर्ड, एतदद्वारा, निम्नलिखित विनियम बनाता है, यथा :-

1. **संक्षिप्त शीर्षक और प्रारंभ - (**1) इन विनियमों को विशेष वेयर हाऊस लाइसेंसिंग विनियम, 2016 कहा जाएगा।

(2) ये सरकारी राजपत्र में अपने प्रकाशन की तारीख से प्रवर्तित होंगे।

**2. परिभाषाएं :-** (1) इन विनियमों में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो, -

(क) ''अधिनियम'' से अभिप्राय सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 (1962 का 52) से है;

(ख) ''आवेदक'' से अभिप्राय ऐसे व्यक्ति से है जो कि धारा 58 क के अंतर्गत विशेष वेयर हाऊस के लिए लाइसेंस के लिए आवेदन करता है;

(ग) ''धारा'' से अभिप्राय इस अधिनियम की धारा से है;

(घ) ''विशेष वेयरहाऊस'' से अभिप्राय ऐसे स्थल या भवन से है, जहां पर ड्यूटी लगने योग्य वस्तुओं को जमा कराया जा सकता है, जिसको कि प्रधान आयुक्त, सीमा शुल्क या आयुक्त, सीमा शुल्क जैसा भी मामला हो, ने धारा 58क के अंतर्गत विशेष वेयर हाऊस के रूप में लाइसेंस दिया है;

(2) यहां प्रयोग किए गए शब्द और अभिव्यक्तियॉ जिन्हें इन विनियमों में परिभाषित नहीं किया गया है उनका क्रमश: वही अभिप्राय होगा जैसा कि उक्त अधिनियम में उन के लिए नियत किया गया है।

**3. विशेष वेयर हाऊस के लिए लाइसेंस का दिया जाना -** (1) विशेष वेयर हाऊस के लिए लाइसेंस के लिए आवेदन किए जाने पर, प्रधान आयुक्त, सीमा शुल्क या आयुक्त, सीमा शुल्क ऐसे आवेदक को लाइसेंस जारी कर सकता है, जो कि -

(क)भारत का नागरिक हो या ऐसा कोई निकाय हो जो कि तत्समय प्रवर्तित विधि के अंतर्गत निगमित और पंजीकृत हो;

(ख) प्रधान आयुक्त सीमा शुल्क अथवा, आयुक्त, सीमा शुल्क जैसा भी मामला हो द्वारा विनिर्दिष्ट धनराशि के संबंध में किसी अनुसूचित बैंक से शोध क्षमता प्रमाणपत्र प्रस्तुत करता है ।

बशर्ते कि, शोध क्षमता प्रमाणपत्र प्रस्तुत करने की शर्त केन्द्र सरकार या राज्य सरकार अथवा संघ राज्य क्षेत्र पर लागू नहीं होगी;

(ग) धारा 58क की उपधारा 2 के अंतर्गत बोर्ड द्वारा अधिसूचित वस्तुओं के भण्डारण का प्रस्ताव करता है;

(घ) प्रधान आयुक्त सीमा शुल्क अथवा आयुक्त सीमा शुल्क, जैसा भी मामला हो, द्वारा विनिर्दिष्ट ऐसी शर्तों का पालन करने का वचन देता है;

(ङ) सीमा शुल्क अधिकारियों द्वारा लागत की वसूली के समय वेयर हाऊस के पर्यवेक्षण संबंधी सेवाओं का भुगतान करने का वचन देता है।

(2) प्रधान आयुक्त, सीमा शुल्क अथवा आयुक्त, सीमा शुल्क जैसा भी मामला हो आवेदक को लाइसेंस नहीं जारी करेंगे, यदि -

(क) उसे किसी न्यायालय या अधिकरण द्वारा दिवालिया घोषित कर दिया गया है;

(ख) उसे इस समय लागू किसी कानून के अंतर्गत किसी अपराध के लिए दोषी पाया गया है;

(ग) उसे अधिनियम, केन्द्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम, 1944 (1944 का 1) अथवा वित्त अधिनियम, 1994 (1994 का 32) के अध्याय V के अंतर्गत किसी अपराध के लिए दंडित किया गया है;

(घ) उसका विक्षिप्त मस्तिष्क है और सक्षम न्यायालय द्वारा भी ऐसा घोषित किया गया है;

(ड.) प्रधान आयुक्त सीमा शुल्क अथवा आयुक्त, सीमा शुल्क, जैसा भी मामला हो, इस बात पर संतुष्ट होने पर कि-

i. वह स्थान या भवन जो कि विशेष वेयर हाऊस के लिए प्रस्तावित है शुल्क वाले वस्तुओं के भण्डारण के लिए सुरक्षित नहीं पाया जाता है; या

ii. वह स्थान या भवन जो कि विशेष वेयर हाऊस के लिए प्रस्तावित है सीमा शुल्क अधिकारियों के सामान्य निरीक्षण के लिए उपयुक्त नहीं पाया जाता है।

iii. आवेदक के विरुद्ध दिवालियेपन की कार्यवाहियां लंबित हैं; अथवा

iv. आवेदक के विरुद्ध आपराधिक कार्रवाहियां लंबित हैं और इससे जुड़े अपराध ऐसे स्वरूप के हैं कि लाइसेंस दिए जाने के लिए वह उपयुक्त नहीं है।

**4. शर्तें जिनको कि आवेदक के द्वारा पूरा किया जाना है -** जहां कि, परिसर का निरीक्षण किए जाने के पश्चात, विनियम 3 के अंतर्गत किए गए शर्तों के अनुपालन का मूल्यांकन और ऐसी पूछताछ जो कि आवश्यक समझी जाए के पश्चात प्रधान आयुक्त, सीमा शुल्क या आयुक्त, सीमा शुल्क जैसा भी मामला हो सीमा शुल्क लाइसेंस दिए जाने को अनुमोदित कर देता है तो आवेदक -

(क) भारत के राष्ट्रपति के पक्ष में, विशेष वेयर हाऊस में किसी भी समय रखे जाने के लिए प्रस्तावित तथा शुल्क वाले वस्तुओं में निहित शुल्क की राशि के समतुल्य राशि के बराबर की राशि के लिए सभी प्रकार की जोखिमपरक बीमा पॉलिशी, जिसमें कि प्राकृतिक आपदा, दंगा, आग, चोरी, चालबाजी व उठाईगिरी तथा वाणिज्यिक अपराध शामिल हैं, जमा करेगा;

(ख) इस बात का वचनपत्र देगा कि वह धारा 73(क) की उपधारा (3) के अंतर्गत या विशेष वेयर हाऊस (वस्तुओं के अभिरक्षण और देखरेख) विनियम, 2016 के अंतर्गत वेयर हाऊस में रखे गए माल से संबंधित किसी शुल्क, ब्याज, शास्ति और दण्ड का भुगतान करेगा;

(ग) एक वचनपत्र देकर प्रधान आयुक्त, सीमा शुल्क या आयुक्त, सीमा शुल्क को, वेयर हाऊस में रखे गए माल को उनकी प्राप्ति, डिलिवरी, भण्डारण, प्रेषण या रख-रखाव के दौरान दुर्घटना, क्षति, खराबी, विनाश या अन्य किसी अप्राकृतिक कारणों से हानि होती है तो क्षतिपूर्ति करेगा; और

(घ) ऐसे व्यक्ति को हाऊस कीपर के रूप में नियुक्त करेगा जिसके पास वेयर हाऊस के संचालन और सीमा शुल्क की प्रक्रियाओं से संबंधित पर्याप्त अनुभव होगा।

**5. लाइसेंस दिया जाना -** विनियम 3 और विनियम 4 में विनिर्दिष्ट शर्तों के पूरा किए जाने पर प्रधान आयुक्त सीमा शुल्क अथवा आयुक्त सीमा शुल्क जैसा भी मामला हो, यथा आवश्यक समझे जाने वाली शर्तों के अधीन किसी विशेष वेयर हाऊस के संबंध में लाइसेंस जारी कर सकता है।

**6. लाइसेंस की वैधता -** विनियम 5 के अंतर्गत जारी कोई भी लाइसेंस तब तक वैध रहेगा जब तक इसे धारा 58ख अथवा विनियम 8 के उपविनियम 2 के अंतर्गत दिए गए प्रावधानों की शर्तों के अनुसार रद्द न कर दिया जाए।

**7. लाइसेंस का अंतरण नहीं किया जाना -** विनियम 5 के अंतर्गत दिया गया लाइसेंस अंतरणीय नहीं है-

**8. लाइसेंस को वापस लौटाना -** (1) कोई भी लाइसेंसी अपने को दिए गए लाइसेंस को प्रधान आयुक्त सीमा शुल्क या आयुक्त, सीमा शुल्क, जैसा भी मामला हो, को लिखित अनुरोध करते हुए वापस कर सकता है।

(2) प्रधान आयुक्त सीमा शुल्क या आयुक्त सीमा शुल्क उपविनियम (1) के अंतर्गत अनुरोध के प्राप्त होने पर ऐसे लाइसेंस को रद्द कर सकता है, यदि -

(क) लाइसेंसी ने इस अधिनियम तथा इसके अंतर्गत बनाए गए नियमों अथवा विनियमों के अंतर्गत किए गए प्रावधानों के अंतर्गत केन्द्र सरकार को देय सभी धनराशि का भुगतान कर दिया है;

(ख) विशेष वेयर हाऊस में कोई भी जमा माल पड़ा नहीं रहता है या ऐसा माल उप-विनियम (1) में संदर्भित अनुरोध की तारीख से विशेष वेयर हाऊस में जमा किया गया होता है।

(ग) लाइसेंसी के खिलाफ इस अधिनियम के अंतर्गत कोई भी कार्रवाई लंबित नहीं है।

**9. मौजूदा वेयर हाऊसों के लिए लाइसेंस -** (1) धारा 57 के अंतर्गत निर्धारित कोई सार्वजनिक वेयर हाऊस अथवा धारा 58 के अंतर्गत लाइसेंस प्राप्त कोई प्राइवेट वेयर हाउस जैसा की वित्त अधिनियम, 2016 (2016 का 28) के प्रारंभ होने से तत्काल पूर्व है, धारा 58(क) की उपधारा (2) के अंतर्गत आधिसुचित वस्तुओं के मामले में अपना कार्य इन विनियमों के लागु होने की तारीख के 3 माह के अवधि तक करते रह सकते है।

बशर्ते कि इस प्रकार का वेयर हाऊस सीमा शुल्क के ताले के अंतर्गत रहेगा।

(2) उप-विनियम (1) में संदर्भित वेयर हाऊस जोकि धारा 58क की उपधारा (2) के अंतर्गत अधिसूचित वस्तुओं का भण्डारण 3 माह की अवधि के बाद भी करना चाहते है तो वे इन विनियमों के लागू होने की तारीख से 1 माह की अवधि के भीतर इन्ही विनिमयो के अंतर्गत लाइसेंस के लिए आवेदन कर सकते है।